Result Mitra Daily Current Affairs

धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त

चर्चा में क्यों :- हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण पर टिप्पणी की है जिसमे कोर्ट ने कहा की, एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी'।
यह टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा धर्मांतरण मुद्दे पर की गई है।
साथ ही न्यायालय ने कहा की - इन धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगे जो धर्मांतरण को बढ़ावा देती है।

कोर्ट ने अपना मत देते हुए कहा है कि अगर देश में मौजूद धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की प्रवृत्ति जारी रही और इस पर रोक न लगाई गई तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। इसलिए तत्काल प्रभाव से इन धर्मांतरण करने वाली धार्मिक सभाओं और संस्थाओं पर रोक लगाई जानी चाहिए।

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल के द्वारा की गई है।

इस टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को ईसाई बनाने पर रोक लगाने से है ।

कोर्ट ने कहा- यूपी में गरीब लोगों को गुमराह कर ईसाई बनाया जा रहा

क्या है मुद्दा :- रामकली प्रजापति ने एफआईआर दर्ज कराई कि उसका भाई जो मानसिक रूप से बीमार था, उसको याची एक हफ्ते के लिए दिल्ली ले गया। उससे कहा कि इलाज कराकर गांव वापस कर देंगे। लेकिन वापस नहीं आया। जब आया तो गांव के तमाम लोगों को दिल्ली में अयोजित एक कार्यक्रम में ले गया। जहां उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बदले शिकायत कर्ता के भाई को पैसे दिए गए।

Result Mitra

क्या कहता है संविधान :-

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 - 28)

संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं जिसमें से अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार :-

भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार न सिर्फ व्यक्तियों को बल्कि धार्मिक समूहों को भी प्रदान किया गया है

यह अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में प्रदान किए गए हैं जो इस प्रकार है :-

अनुच्छेद 25 :-

- अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
- इस अनुच्छेद में सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अवाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की प्रदान की गई है।
- अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई स्वतंत्रताएँ सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन हैं।
- अनुच्छेद 25 में ही उल्लेख किया गया है की राज्य धर्म से सम्बन्धित निम्नलिखित कानून बना सकता है:-
- मुझे 25 के अंतर्गत राज्य निम्न लिखित को नियंत्रित और प्रतिबंधित कर सकता है किसी भी धार्मिक प्रथा से जुड़ी आर्थिक, राजनीतिक , वित्तीय, या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि ।
- यह सामाजिक कल्याण साथ ही सामाजिक सुधार या सार्वजनिक प्रकृति की धार्मिक हिंदू संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने का प्रावधान करता है।
- यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यहां पर हिंदुओं से तात्पर्य सिख, जैन और बौद्ध से भी है।

Result Mitra

- भारतीय संविधान धर्म के मामले में स्पष्ट व्याख्या करता है कि संविधान में धर्म प्रचार की छूट दी गई है और धर्म प्रचार का अर्थ धर्म बदलवाने से नहीं है ।

- धर्म परिवर्तन से संबंधित जितने भी आयोजन किए जाते हैं ऐसे आयोजन संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है।

अनुच्छेद 26 :-

धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 26 प्रावधान करता है कि नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे :-

धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएं बनाने और बनाए रखने का अधिकार।

इन धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन एवं संचालन का अधिकार।

इन धार्मिक संस्थाओं को चल एवं अचल संपति अर्जित करने का अधिकार।

अनुच्छेद 27 :-

- किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर या शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

- अनुच्छेद 27 के तहत ऐसे करो को लगाने के ऊपर रोक लगाई गई है जिनका उपयोग सीधे तौर पर किसी विशेष धर्म या किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या उसके रखरखाव के लिए किया जाना है

अनुच्छेद 28

राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

Result Mitra

प्रावधान :- राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती ।

यह अनुच्छेद धार्मिक समूहों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा प्रसारित करने की अनुमति देता है।

राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में अगर कोई भी व्यक्ति जाता है, तो उसे ऐसे संस्थान किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक पूजा में भाग लेने की वाध्य नहीं किया जा सकता। जब तक कि वह व्यक्ति या वह नाबालिक है तो उसके अभिभावक इसकी अनुमति न दें।

Result Mitra